

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-III

जयपुर, दिनांक :- **9 MAY 2018**

श्री शम्भु प्रसाद भारद्वाज,  
भारद्वाज एण्ड एसोसिएट  
फ्लैट नं. 414, पॉकेट 16  
सेक्टर-3, द्वारका,  
नई दिल्ली-110078

**विषय :-** श्री शम्भु प्रसाद भारद्वाज, एम्पैनलड आर्किटेक्ट का एम्पैनलमेंट निरस्त किये जाने बाबत।

**सन्दर्भ :-** आपकी ई.मेल आई.डी. bhardwaj\_s30@yahoo.co.in से दिनांक 03.05.2018 को एम्पैनलमेंट समर्पित किये जाने के संबंध में प्राप्त ई.मेल।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित ई.मेल एवं दूरभाष पर वार्ता के क्रम में आप द्वारा कम्प्लीशन एवं ओक्योपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु विभाग द्वारा एम्पैनलड किये गये आर्किटेक्ट की सूची से निजी कारणों का हवाला देते हुए स्वयं (श्री शम्भु प्रसाद भारद्वाज, CA/2002/29464) का नाम निरस्त किये जाने का आग्रह किया गया था। उक्त क्रम में विभाग द्वारा पूर्व में विभागीय आदेश क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-III जयपुर, दिनांक 12.06.2017 को जारी एम्पैनलड आर्किटेक्ट की सूची से श्री शम्भु प्रसाद भारद्वाज, CA/2002/29464, भारद्वाज एण्ड एसोसिएट, फ्लैट नं. 414, पॉकेट 16, सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली का एम्पैनलमेंट निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, R.E.R.A., राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम